

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2683
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखरेख कर्मियों के रिक्त पद

2683 डा. मेनका गुरुस्वामी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और विशेषज्ञों के संस्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य देखरेख प्रदायगी पर इन रिक्त पदों के प्रभाव का आकलन किया है; और
- (ग) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 'जन स्वास्थ्य और अस्पताल' राज्य का विषय है। मानव संसाधन भर्ती और रिक्तियों को भरने सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढीकरण का मुख्य दायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानकों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों का राज्य-वार विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf>

एनएचएम के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानधन प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है ताकि ऐसे क्षेत्रों में स्थित जन स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा करना उन्हें आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीज़ेरियन सेक्शन कराने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्रीरोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बालरोग विशेषज्ञों और एनेस्थेसिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- अनेक प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कि डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव पूर्व जाँच (एएनसी) करने और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी लचीली कार्यनीतियों सहित, परस्पर सहमति से वेतन तय करने की अनुमति भी दी गई है।
- एनएचएम के तहत, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करने जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत, डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम (डीआरपी) के तहत, मेडिकल कॉलेजों के द्वितीय/तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।
